

उत्तरांचल शासन

वित्त, कर एवम् निबन्धन विभाग

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2005 ई०

संख्या 77/XXVII(5)/वैट/2005—राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904), (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 (अध्यादेश संख्या 3, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उक्त अध्यादेश की अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1-अनुसूची-I में क्रम संख्या 26 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रखी जायेगी—अर्थात्

क्र०सं०	वस्तुओं का विवरण
(1)	(2)
26.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के माध्यम से विक्रय किया गया अनाज और अन्य समान जिसमें मिट्टी का तेल सम्मिलित नहीं है।

2-अनुसूची-III में क्रम संख्या 5 की विद्यमान प्रविष्टि के बाद स्तम्भवार निम्न प्रविष्टि रखी जायेगी—अर्थात्

क्र०सं०	वस्तुओं का विवरण	कर का स्थल	कर की दर प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	मिट्टी का तेल	नि० या आ०	12.5 प्रतिशत

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 77/XXVII(5)/VAT/2005, dated October 12, 2005 for general information :

VITTA, KAR AVAM NIBANDHAN VIBHAG

NOTIFICATION

October 12, 2005

No. 77/XXVII(5)/VAT/2005—In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 4 of the Uttaranchal Value Added Tax Ordinance, 2005 (Ordinance No. 3 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), (as applicable in the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to make the following amendments in Schedules of the said Ordinance :--

1. In Schedule--I, for existing entry of serial no. 26, the following entry shall be substituted, namely.

Sr. no.	Description of goods
1	2
26.	Food grains and other goods excluding Kerosene oil sold through Public Distribution System.

2. In Schedule--III, after existing entry of serial no. 5, the following entry shall be columnwise substituted, namely.

Sr. no.	Description of goods	Point of Tax	Rate of Tax Percentage
1	2	3	4
6.	Kerosene oil	M or I	12.5 %

By Order,

RADHA RATURI,
Secretary Finance.

टिप्पणी--राजपत्र, दिनांक 22-10-2005, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 वित्त/443-11-11-2005-250 (कम्प्यूटर/रीजियो)।